बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),
पटना – 800001

विज्ञापन सं.– 09/2018, वित्त विभाग, बिहार के अधीन बिहार लेखा सेवा अन्तर्गत लेखा पदाधिकारी के मूल पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर रिक्त 32 (बत्तीस) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर प्रदर्शित है। इन रिक्त 32 (बत्तीस) पदों की कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है :–

क्र॰ सं॰	कोटि	कोटिवार रिक्ति की कुल संख्या	इनमें महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित कोटिवार पदों की संख्या
1.	गैर–आरक्षित वर्ग	16	05
2.	अनुसूचित जाति	05	02
3.	अनुसूचित जनजाति	00	00
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	07	02
5.	पिछड़ा वर्ग	04	01
6.	पिछड़ा वर्ग की महिला	00	00
कुल		**32**	**10**

2. **वेतनमान** :– 9300–34800/– + ग्रेड पे– 4800/–
3. **अनिवार्य योग्यता** :– सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता निम्नलिखित होनी चाहिए :–
   (क) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक।
   (ख) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन के लिए नियत तिथि को अभ्यर्थियों को ग्रेड–III में कम से कम 10 (दस) वर्ष सेवा का अनुभव अवश्य प्राप्त हो।

उपर्युक्त अंकित अर्हता प्राप्त कोषागारों एवं भविष्य निधि कोषांगों में कार्यरत अनुसचिवीय कर्मचारी तथा अन्य विभागों के लेखा संवर्ग के कर्मचारी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे।

नोटः– 1. सीमित प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम तीन अवसर दिये जायेंगे।
2. अभ्यर्थी अपने आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से आयोग को भेजेंगे।
3. वह व्यक्ति जो बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 157 में विहित लेखा की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, इस सेवा में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा।

4. **आयु सीमा** :– अधिकतम उम्र सीमा का बंधेज नहीं है।
5. **चयन का आधार** :– बिहार लेखा सेवा में नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा दो पत्रों की वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा 3 घंटे की होगी।

प्रथम पत्र (लेखा)

इस पत्र में लेखा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और यह दो भागों में होगा। हर भाग का पूर्णांक 100 होगा। प्रथम भाग वाणिज्यिक लेखा से संबंधित और दूसरा भाग सरकारी लेखा के प्रमुख सिद्धान्तों से संबंधित होगा :–

भाग–1	:–	वाणिज्यिक लेखा (प्रवेशिका स्तर का)	पूर्णांक	100
	I	डबल इन्टरी बुक कीपिंग		
	II	सिंगल इन्टरी बुक कीपिंग		
	III	साझेदारी का लेखा		
	IV	मुनाफा एवं हानि का लेखा		
	V	लेखा मिलान		
	VI	आर्थिक चिट्ठा (बैलेंस शीट)		

भाग–2	:–	सरकारी लेखा के प्रमुख सिद्धान्त	पूर्णांक	100
	I	बिहार ट्रेजरी कोड (भौल्युम 1 एवं 2)		
	II	पी॰डब्ल्यू॰डी॰ लेखा कोड (भौल्युम 1 एवं 2)		
	III	बिहार यात्रा भत्ता नियमावली		
	IV	बिहार राज्य सरकारी सेवा आचरण नियमावली		
	V	लेखा कोड		
	VI	बोर्डस मिसलेनियस रूल्स		
	VII	बिहार सेवा संहिता		

द्वितीय पत्र (विधि)

द्वितीय पत्र भी दो भागों में होगा और हर भाग का पूर्णांक 100 होगा।

भाग–1	:–	(नियम और अधिनियम)	पूर्णांक	100
	I	बिहार वित्त अधिनियम 1981 एवं इसके अन्तर्गत अधिसूचित नियमावली		
	II	बिहार वित्त नियमावली (भौल्युम 1 एवं 2)		
	III	बिहार पेंशन नियमावली		
	IV	बिहार भविष्य निधि नियमावली		

भाग–2	:–	(विधि)	पूर्णांक	100
	I	इंडियन कम्पनी ऐक्ट 1913		
	II	इंडियन कॉनट्रैक्ट ऐक्ट 1872		
	III	इंडियन स्टाम्प ऐक्ट		
	IV	बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकभरी ऐक्ट 1914		
	V	पार्टनरशिप ऐक्ट 1932		
	VI	इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट		

नोटः–सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए 35 (पैंतीस) प्रतिशत तथा अन्य के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत होगा।

6. **आरक्षण** :–
   (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
   (ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।**
   (iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–
      (a) जाति प्रमाण–पत्र
      (b) स्थायी निवास (डोमिसाइल)/मूल निवास प्रमाण–पत्र
   (B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

   पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**
   (iv) **आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**
   आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :–

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05

   (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–2342, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
   (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में दिव्यांगता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी सेवक/भूतपूर्व सैनिक का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

7. शुल्क :–

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित ज़ाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

वैसे बिहार राज्य की महिला/सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा बिहार राज्य की महिला होने का प्रमाण–पत्र/दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। बिहार राज्य की महिला, दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:– (i)

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	27.11.2018 से 14.12.2018 तक
2.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	17.12.2018 तक
3.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	26.12.2018 तक
4.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी कागजात/प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	05.01.2019 के अपराह्न 05:00 बजे तक

नोट–1: **जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।**

नोट–2: **जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक–17.12.2018 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।**

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार डैश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) **इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।**

(vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। **उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।**

(viii) **इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।**

(ix) **ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान** (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) **के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।**

9. महत्वपूर्ण निर्देश :–

(i) **अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण–पत्र/कागजात की प्रति अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक–05.01.2019 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :–**

(a) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र (जन्म तिथि के लिए);

(b) मैट्रिक का अंक पत्र;

(c) स्नातक डिग्री प्रमाण–पत्र;

(d) स्नातक डिग्री अंक पत्र;

(e) अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त ग्रेड–III में कम से कम 10 (दस) वर्ष सेवा संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र;

(f) बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 157 में विहित लेखा की अंतिम परीक्षा का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र;

(g) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र/राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिये स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति। **(आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।)**

(h) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति;

(i) भुगतान से संबंधित डाउनलोड बैंक रसीद की प्रति;

(j) आवेदक उपर्युक्त सभी वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(k) ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

(ii) **यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण–पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप**

से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश–पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।

(iii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(iv) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, बैंक रसीद एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा सत्यापन के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना होगा।

10. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाईन आवेदन भरने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है।

11. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

12. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

13. इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची **(Address Slip)** एवं प्रेषक पर्ची **(Sender's Slip)** को लिफाफे पर चिपकायेंगे।

14. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

15. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

16. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।